न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 177/2022

अनवान :

कृष्ण कुमार पुत्र घनश्याम जाति खाती निवासी गिरानी त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र अर्जनराम जाति खाती निवासी गिरानी त0 भादरा।
2. भरत सिंह पुत्र घनश्याम जाति खाती निवासी गिरानी त0 भादरा।
3. बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बालसमन्द जरिये शाखा प्रबन्धक तह0 व जिला हिसार ।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पुनमचन्द वर्मा : **वादी**

वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक : 27-03-22**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गिरानी के खाता सं0 90/81 के मु0न0 161 के कि0न0 8 की 0.2530है0 कि0न0 9/2 की और कि0न0 12/2 प्रत्येक की 0.2070है0 कि0न0 13 की 0.253है0 कि0न0 18 की 0.0910है0 कि0न0 19/3 की 0.1300है0 कि0न0 22 की 0.1520है0 कि0न0 23 की 0.2400है0, मु0न0 188 के कि0न0 1 की 0.2280है0 कि0न0 2 व 3 प्रत्येक की 0.2530है0 कुल किता 11 की 2.2670है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा अर्जनराम की खातेदारी हुआ करती थी।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि मे वादी के खातेदारी हको की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखारगत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। वकील वादी ने प्रतिवादी

Scanned with CamScanner

सं0 3 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी मे कृष्ण कुमार पुत्र घनश्याम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम भिरानी संवत 2074–77 खाता संख्या 90/81 प्रदर्श 1, पैतृक जमाबंदी ग्राम भिरानी संवत 2029–38 खाता संख्या 159 प्रदर्श 2, शपथ पत्र बाबत वारिसान् प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत वारिसान् प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में घनश्याम पुत्र अर्जनराम के दो पुत्र कृष्ण कुमार व भरत सिंह के अलावा शपथ पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 90/81 के मु0न0 161 के कि0न0 8 की 0.2530है0 कि0न0 9/2 की और कि0न0 12/2 प्रत्येक की 0.2070है0 कि0न0 13 की 0.253है0 कि0न0 18 की 0.0910है0 कि0न0 19/3 की 0.1300है0 कि0न0 22 की 0.1520है0 कि0न0 23 की 0.2400है0, मु0न0 188 के कि0न0 1 की 0.2280है0 कि0न0 2 व 3 प्रत्येक की 0.2530है0 कुल किता 11 की 2.2670है0 वारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 घनश्याम अकेले की बजाए वादी कृष्ण कुमार, प्रतिवादी सं0 1 घनश्याम व प्रतिवादी सं0 2 भरत सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 90/81 के मु0न0 161 के कि0न0 8 की 0.2530है0 कि0न0 9/2 की और कि0न0 12/2 प्रत्येक की 0.2070है0 कि0न0 13 की 0.253है0 कि0न0 18 की 0.0910है0 कि0न0 19/3 की 0.1300है0 कि0न0 22 की 0.1520है0 कि0न0 23 की 0.2400है0, मु0न0 188 के कि0न0 1 की 0.2280है0 कि0न0 2 व 3 प्रत्येक की 0.2530है0 कुल किता 11 की 2.2670है0 वारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 घनश्याम अकेले की बजाए वादी कृष्ण कुमार, प्रतिवादी सं0 1 घनश्याम व प्रतिवादी सं0 2 भरत सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार

Scanned with CamScanner

काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 27.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner